सदन में उत्तर देने का दिनांक : 03/03/2016

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 1092)

श्री लाखन सिंह यादव

परिशिष्ट

म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कृषकों एवं विद्युत उपभोक्ताओं के हितों के लिये चलाई जा रही योजनाओं का विवरण

क्रं.	योजना का नाम	योजना का विवरण
01	कृषक अनुदान योजना	कृषकों को नवीन स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा अनुदान योजना लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत वर्तमान में लघु एवं सीमांत कृषक (2 हैक्टे. से कम भूमि वाले) को रू. 6,500 एवं अन्य कृषकों के लिये रू. 10,400 प्रति हा.पा. की दर से राशि जमा करनी होती है। इस योजना में प्रत्येक कृषक हेतु रू. 1.5 लाख की राशि का प्राक्कलन स्वीकृत करने की सीमा निर्धारित की गई है । निर्धारित सीमा से अधिक लागत होने पर अतिरिक्त राशि संबंधित कृषक द्वारा वहन की जाती है।
02	स्थायी कृषि पंप फ्लैट रेट योजना	स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिये फ्लैट रेट आधारित बिलिंग योजना दिनांक 01 अप्रैल 2013 से लागू की गई है, जिसके अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष में दो बार (छः माही आधार पर) समान किस्तों में रू. 1200 प्रति हा.पा. वार्षिक बिल देने का प्रावधान किया गया है।
03	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एक हैक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हा.पा. तक के कृषि पंप उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।
04	दीनबन्धु योजना	राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों की बकाया राशि जून 2013 की स्थिति में माफ किये जाने के लिये दीनबन्धु योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत जून 2013 की स्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले (अंत्योदय परिवारों सहित) घरेलू उपभोक्ताओं पर बकाया राशि का शत–प्रतिशत ऊर्जा एवं सरचार्ज प्रभार की राशि माफ की जाती है।
05	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले घरेलु उपभोक्ताओं हेतु सुविधा	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 25 यूनिट प्रति माह की छूट प्रदान की जा रही है।
06	सूखे के कारण 50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित फसलों वाले किसानों के बिजली बिलों के भुगतान के आस्थगन की सुविधा	जिन कृषकों की 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, वहाँ कलेक्टर द्वारा अभिप्रमाणित सूची दिये जाने पर, इन कृषकों के स्थाई पंप कनेक्शन के अक्टूबर, 2015 में जारी छः माही बिलों तथा 30 सितम्बर, 2015 की स्थिति में बकाया राशि में वसूली 6 माह में लिये आस्थगित की गई है तथा इनसे 01.10.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि का कोई सरचार्ज भी नहीं लिया जायेगा।

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,